रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2010/आषाढ़ 21, 1932

No. 390] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2010/ASADHA 21, 1932

IndiaCode

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 में :—

(क) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि उपाबंध-4 में उल्लिखित वर्गीकरण के अनुसार ख1 प्रवर्ग के शहरों में अवस्थित विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का 50 % होगा और उपाबंध 4 में दर्शाए गए अनुसार ख2 प्रवर्ग के शहरों में अवस्थित विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का 25 % होगा";

(ख) उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के तीसरे परंतुक में "विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. मूल नियम के उपाबंध III के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबंध IV

[कृपया नियम 5(2)(ख) देखें]

शहरों का वर्गीकरण

शहर	वर्गीकरण
(1)	(2)
मुम्बई	क-1
दिल्ली	क-1
कोलकाता	क-1
चेन्नई	क-1
बंगलौर	क-1
हैदराबाद	क-1
अहमदाबाद	क
पुणे	क
सूरत	क

(1)	(2)
कानपुर	क
कोयम्बतूर	क
लखनऊ	क
नागपुर	क
जयपुर	क
विशाखापत्तनम	क
विजयवाड़ा	क
कोच्चि	ख-1
पटना	ख-1
इंदौर	ख-1
भोपाल	ख-1
गुंटूर	ख-1
बड़ोदरा	ख-1
लुधियाना	ख-1
आगरा	ख-1
नासिक	ख-1
काकीनाड़ा	ख-1
रायपुर	ख-1
मदुरै	ख-1
वाराणसी	ख-1
राजकोट	ख-1
राजमुंदरी	ख-1
जबलपुर	ख-1
जमशेदपुर	ख-1
इलाहाबाद	ख-1
अमृतसर	ख-1
आसनसोल	ख-1
धनबाद	ख-1
अन्य सभी शहर	ख-2"

[फा. सं. सी. 2/5/2009-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :–

क्र.सं.	सा.का.नि.	तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	470(अ)	10 अगस्त, 2006
2.	393(अ)	16 मार्च, 2007
3.	1744(अ)	12 अक्तूबर, 2007
4.	2661(अ)	14 नवम्बर, 2008
5.	72(अ)	3 फरवरी, 2009
6.	1293(अ)	20 मई, 2009
7.	562(अ)	3 अगस्त, 2009
8.	501(अ)	14 जून, 2010

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Sepcial Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5 :—

(a) in sub-rule (2), in clause (b), after third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that in respect of Special Economic Zones located in B1 category cities as per classification indicated in Annexure-IV, the minimum built up area shall be 50% of the area specified above and in respect of Special Economic Zones located in B2 category cities as indicated in Annexure IV, the minimum built up area shall be 25% of the area specified above";

(b) in sub-rule (2), in clause (c), in the third proviso, for the words "for a specific sector", the words "having area less than one thousand hectares" shall be substituted.

3. After Annexure III to the principal rules, the following Annexure shall be inserted namely :—

IndiaCode

"ANNEXURE IV

[Refer rule 5(2)(B)]

CLASSIFICATION OF CITIES

City	Classification
(1)	(2)
Mumbai	A-1
Delhi	A-1
Kolkata	A-1
Chennai	A-1
Bangalore	A-1
Hyderabad	A-1
Ahmedabad	A
Pune	A
Surat	A
Kanpur	A
Coimbatore	A
Lucknow	A
Nagpur	A
Jaipur	A
Visakhapatnam	A
Vijayawada	A
Kochi	B-1
Patna	B-1
Indore	B-1
Bhopal	B-1
Guntur	B-1
Vadodara	B-1
Ludhiana	B-1
Agra	B-1
Nashik	B-1
(1)	(2)
Kakinada	B-1
Raipur	B-1
Madurai	B-1
Varanasi	B-1
Rajkot	B-1
Rajahmundry	B-1
Jabalpur	B-1
Jamshedpur	B-1
Allahabad	B-1
Amritsar	B-1
Asansol	B-1
Dhanbad	B-1
All other cities	B-2"

[F. No. C 2/5/2009-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and subsequently amended *vide* notifications as under :—

Sl. No.	G.S.R.	Dated
1.	470(E)	10th August, 2006
2.	393(E)	16th March, 2007
3.	1744(E)	12th October, 2007
4.	2661(E)	14th November, 2008
5.	72(E)	3rd February, 2009
6.	1293(E)	20th May, 2009
7.	562(E)	3rd August, 2009
8.	501(E)	14th June, 2010

Indiacode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.